

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 383/2019 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

हंसराज पुत्र श्रीराम जाति छिम्पा साकिन वार्ड न0 15 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. चिडिया(सावत्री) पुत्री तुलसी/श्रीराम पत्नी केसराराम जाति छिम्पा साकिन चक 14 बी. डी. तहसील खालुवाला जिला बिकानेर।।
2. चावली पुत्री तुलसी/श्रीराम पत्नी कृष्णलाल जाति छिम्पा साकिन गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. इन्द्रा पुत्री तुलसी/श्रीराम पत्नी बृजलाल जाति छिम्पा साकिन गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. बिमला पुत्री तुलसी/श्रीराम पत्नी सुन्दरलाल जाति छिम्पा साकिन गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. पुनम पुत्री तुलसी/श्रीराम पत्नी अशोक कुमार जाति छिम्पा साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री दिनेशकुमार भादू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 25/6/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 4 डी.डब्लू. एम. के प0न0 173/58 (7) के किला न0 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 की 3.036 है0 व चक 4 आर.डब्लू.एम. के प0 न0 172/46 (7) के किला नं. 3, 4, 5/1, 5/2 की 0.759 है. प.नं. 192/6(10) के किला नं. 13 ता 15 की 0.759 है0 इस चक की कुल 1.518 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25/6/2024

.... को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

